

# न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम

(आरटीएस)

मि.न.140/17

दिनांक 7.9.17

सरकार बनाम देवकरण वगै०

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयसिंहपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख० न० 583 रकबा 49.49 है० किस्म जमीन गै० मु० नदी मेंसे 1.0 है० पर देवकरण , जयसिंह पुत्रान रामदेव जाति मीणा निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने बाजरा कास्तकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान जरीये अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सैनी उपस्थित आये । अधिवक्ता ने गैरसालान की तरफ से लिखित जबाब पेश किये जो संलग्न पत्रावली किया गये । विद्वान अधिवक्ता ने अपने जबाब में कथन किया कि प्रार्थी गण अनुसुचित जन जाति के सदस्य गरीब व्यक्ति हैं। उक्त नोटिस गैर कानूनी रूप से दिये गये हैं। जबकि खसरा नंबर 583 ग्राम करवास गै० मु० नदी नहीं है ,बल्कि सिवाय चक है। सिवाय चक भूमि को गै० मु० नदी दर्ज करने का अधिकार श्रीमान को नहीं है। खसरा नंबर 583 ग्राम करवास को गलत एवं अवैध रूप से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के सिवायचक से गैरमुमकिन नदी गलत दर्ज किया गया है। प्रार्थी गण का कब्जा बुर्जुगान के समय से है। विद्वान वकिल ने मननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1955(1)डीएनजे एस० सी० पेज 208,आर० एल० डब्लू० -2004 राज० पेज 372 व आर० एल० डब्लू० -2005(1)राज० पेज 378 की दलील पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थी गण का कब्जा 50 वर्षों से अधिक है जिस पर से एल० आर० एक्ट की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती । अतः नोटिस को निरस्त फरमाया जावे।



तहसीलदार  
कोटपूतली (जयपुर)

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब व दलीलो के संदर्भ में मनन किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नंबर 583 वाके ग्राम करवास की किस्म गै0 मु0 नदी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर अतिक्रमण कर नदी के स्वरूप को क्षति पहुंचाने का है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536/2013 अब्दुल


रहमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै0मु0 नदी0 ,तालाब, जोहड,भराव,बहाव क्षेत्र की 1947की स्थिति कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं।

अतः गैरसायलन देवकरण , जयसिंह पुत्रान रामदेव जाति मीणा निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम करवास के खसरा नंबर 583/49.49है0 में से 1.0है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी पर बाजरा कास्त कर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।


अतः देवकरण , जयसिंह पुत्रान रामदेव जाति मीणा निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 583/49.49 है0,किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मे से 1.0है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर कास्त बाजरे की फसल को कब्जे राज लिया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी . 2.0का पचास गुणा 100रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली ,फसल निलामी हेतु भू0 अ0 नि0 व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 7.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

  
तहसीलदार  
कोटपूतली (जयपुर)

अ. नं. 200(17-1)8... क. रा. ल. 8  
द. पृष्ठ संख्या 164. पर 100.25.  
सपये कास्त दिये गये ।

  
राजस्व लेखाकार  
कोटपूतली

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब व दलीलो के संदर्भ में मनन किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नंबर 583 वाके ग्राम करवास की किस्म गै0 मु0 नदी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर अतिक्रमण कर नदी के स्वरूप को क्षति पहुचाने का है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536/2013 अब्दुल


रहमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै0मु0 नदी0 ,तालाब, जोहड,भराव,बहाव क्षेत्र की 1947की स्थिति कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं।

अतः गैरसायलन देवकरण , जयसिंह पुत्रान रामदेव जाति मीणा निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम करवास के खसरा नंबर 583/49.49है0 में से 1.0है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी पर बाजरा कास्त कर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।


अतः देवकरण , जयसिंह पुत्रान रामदेव जाति मीणा निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 583/49.49 है0,किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मे से 1.0है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर कास्त बाजरे की फसल को कब्जे राज लिया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी .2.0का पचास गुणा 100रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली ,फसल निलामी हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 7.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

  
तहसीलदार  
कोटपूतली (जयपुर)

सं. 20017-18 क रा० ले० ५  
पृष्ठ संख्या 164 पर 100.25  
सप्रेम कायम दिये गये ।

  
राजस्व लेखाकार  
कोटपूतली